



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082020-221466
CG-DL-E-31082020-221466

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2616]
No. 2616]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2020/भाद्र 9, 1942
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2020/BHADRA 9, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2020

का.आ. 2947(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (ii) के अनुसरण में, भारत सरकार एतद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध “अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों” को निर्दिष्ट करता है।

[अधिसूचना सं. 71/2020/फा. सं. 225/136/2020-आईटीए-II]

राजाराजेश्वरी आर., अवर सचिव